संख्या : /42/XXVII (10)/2016/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 12 ~~मई~~ जून, 2019

विषय : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्याः 21/XXVII(7)अं0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01.10.2005 से समस्त नई भर्तियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है।

2. उक्त अधिसूचना द्वारा व्यवस्था की गयी कि नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली–एन0पी0एस0) के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा।

3. भारत सरकार की अधिसूचना संख्याः 41, दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से वेतन और मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत् वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01, अप्रैल, 2019 से राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी

क्रमशः पृष्ठ-2

संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

5. यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियां पर समान रूप से लागू होंगें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या : 169/42/XXVII (10)/2016/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार (पेंशन एंव हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ मण्डल उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव